IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति – एक दृष्टिकोण

चंदन कुमार

शोध छात्र, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, ति.मां भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारः भारत में कृषि श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति देश के समग्र आर्थिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख क्षेत्र होने के नाते, विभिन्न कृषि गतिविधियों में लगे लाखों श्रमिकों के योगदान पर निर्भर करती है। इस आलेख का उद्देश्य भारत में कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का पता लगाना है, जो उनकी विशेषताओं, चुनौतियों, कमजोरियों और संभावित समाधानों पर प्रकाश डालना हैं। आलेख भारत में कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आलेख में मजदूरों के विभिन्न प्रकारों जैसें – मौसमी कृषि मजदूर, स्थायी कृषि मजदूर,. कुशल कृषि मजदूर,. अकुशल कृषि मजदूर, भूमिहीन कृषि मजदूर, बटाईदार आदि का वर्णन किया गया है। आलेख में कृषि मजदूर के विभिन्न विशेषताओं जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि, भूमिहीनता, निम्न शिक्षा स्तर, मौसमी प्रवास, मौसमी रोजगार आदि के बारे में चर्चा किया गया है जिसे समझना नीति निर्माताओं, संगठनों और हितधारकों के लिए लक्षित हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि कृषि श्रमिकों के सामने आने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत कर सके। कृषि श्रमिकों की विशेषताओं को संबोधित करके ही उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। आलेख में कृषि मजदूरों की खराब आर्थिक स्थिति को उन कारणों को बताया गया है और कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थति में सुधार के लिए सरकार की नीति और विभिन्न पहलों की चर्चा प्रस्तुत की गई है। अंत में कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सुझाये गये हैं।

मुख्य शब्दः सामाजिक–आर्थिक स्थिति, कृषि श्रमिक, भूमिहीनता, मौसमी प्रवास, मौसमी रोजगार, मौसमी कृषि मजदूर, स्थायी कृषि मजदूर,. बटाईदार।

परिचय

कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक होने के साथ–साथ रीढ़ भी है, जो आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियोजित करता है। इस क्षेत्र के भीतर, कृषि मजदूर फसलों की खेती और कटाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान होता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र ने 2019–20 में लगभग 144 मिलियन श्रमिकों को नियुक्त किया। यह कार्यबल मुख्य रूप से भूमिहीन मजदूरों से बना है जो अपनी आजीविका के लिए दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। हालांकि, कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति चिंता का विषय रही है, जिसमें कई गरीबी में रह रहे हैं और विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अधिकांश मजदूरों को अल्प मजदूरी प्राप्त होती है, जो अक्सर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम होती है। नतीजतन, वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं और शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। कृषि मूल्य श्रृंखला में उनके योगदान के बावजूद, कई कृषि मजदूर अल्प मजदूरी कमाते हैं, अक्सर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से नीचे। एनएसएसओ आंकड़ों के अनुसार 2001 में भारत में कुल कार्यबल का लगभग 58 प्रतिशत, 2011 में लगभग 54 प्रतिशत, 2017–18 में लगभग 50 प्रतिशत कृषि श्रमिकों की हिस्सेदारी थी। लेकिन इसने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 16 प्रतिशत ही योगदान दिया जो कृषि श्रमिकों की औसत प्रति–पूंजी उत्पादकता के निम्न स्तर को इंगित करता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) के अनुसार, 2019–20 में, कृषि क्षेत्र ने भारत में लगभग 144 मिलियन श्रमिक थे (NSSO, 2020)। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO, 2018) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 40% कृषि मजदूर गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इस आलेख का उद्देश्य भारत में कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का पता लगाना है, जो उनकी चुनौतियों, कमजोरियों और संभावित समाधानों पर प्रकाश डालना हैं।

परम्परागत कृषि में उत्पादन बढ़ाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगत में श्रम है। मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में, चूंकि भूमि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, श्रम आपूर्ति में वृद्धि के कारण खेती के तहत लाने के लिए अधिक भूमि की सफाई हुई। विकास के इस स्तर पर श्रम आपूर्ति में वृद्धि समाज के लिए एक वरदान थी। इसने सकारात्मक योगदान दिया और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद की। कृषि के आधुनिकीकरण में नई तकनीक की शुरूआत शामिल है। नई प्रौद्योगिकी नवाचारों के लिए कृषि में पूंजी के उपयोग में वृद्धि की आवश्यकता है। यहां तक कि अधिक पूंजी और नई तकनीक के

उपयोग के साथ, कई कृषि कार्यों के लिए श्रम उपयोग की गहनता की आवश्यकता होती है जैसे कि बीज क्यारी तैयार करना, निराई, सिंचाई और कटाई। इस प्रकार आधुनिक कृषि विकास में भी श्रम महत्वपूर्ण है।

शोषित अर्थव्यवस्था में खेतिहर मजदूर सबसे उपेक्षित वर्ग है, लेकिन उनका रोजगार भी अनियमित और मौसमी है। चूंकि उनके पास कोई कौशल या प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए उनके पास रोजगार के कोई वैकल्पिक अवसर नहीं हैं या तो अधिकांश खेतिहर मजदूर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के हैं। वे संगठित नहीं हैं और अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते। इसलिए आजादी के 75 वर्षों के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। कृषि मजदूरों को अक्सर चुनौतीपूर्ण काम की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसमें लंबे समय तक, खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने और कठोर वातावरण में शारीरिक श्रम शामिल हैं। कई मजदूरों में स्वच्छ पानी, स्वच्छता सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी होती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति उन्हें बीमारी, चोट और बेरोजगारी सहित विभिन्न जोखिमों के लिए उजागर करती है।

कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को समझने में लिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाएं कृषि कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बनती हैं, फिर भी उन्हें भेदभाव के कई रूपों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कम मजदूरी, भूमि तक सीमित पहुंच और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व की कमी शामिल है। लैंगिक असमानताओं को संबोधित करना कृषि मजदूरों की समग्र सामाजिक–आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए लैंगिक असमानताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

कृषि श्रम का अर्थ

भारत में कृषि श्रम शब्द का उपयोग श्रम शक्ति के उस वर्ग को निरूपित करने के लिए किया जाता है जो कृषि में काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से, अन्य के स्वामित्व वाली भूमि में, शब्दों में, वे सभी व्यक्ति जो आय का एक बड़ा हिस्सा प्रदर्शन किए गए काम के भुगतान के रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरों के खेतों को कृषि मजदूरों के रूप में डिजाइन किया जा सकता है। श्रम पर राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, "कृषि मजदूर वह है जो मूल रूप से अकुशल और असंगठित है और उसके पास आजीविका कमाने के लिए अपने श्रम के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रकार, ऐसे श्रमिक की आय का बड़ा हिस्सा भूमि पर काम करने के लिए मजदूरी से प्राप्त होता है।

साहित्य की समीक्षा

भारत में कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति विद्वानों और संगठनों द्वारा अनुसंधान और विश्लेषण का विषय रही है। साहित्य की समीक्षा प्रमुख अध्ययनों, शोध पत्रों और रिपोर्टों का अवलोकन प्रदान करती है जो शोध विषय पर प्रकाश डालती है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO, 2019) की रिपोर्ट भारत में महिला कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों पर केंद्रित है। यह लिंग असमानताओं, सामाजिक मानदंडों के प्रभाव और उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सिफारिशों पर प्रकाश डालता है।

शेट्टी और राजू (2019) का समीक्षा आलेख भारत में कृषि मजदूरों के सामने सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं, कामकाजी परिस्थितियों और चुनौतियों का अवलोकन प्रदान करता है। इसमें मजदूरी, प्रवासन, भूमिहीनता और नीति हस्तक्षेप जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

दास और मुखोपाध्याय (2018) का अध्ययन भारत में ग्रामीण परिवारों के आर्थिक कल्याण पर कृषि मजदूरी कार्य और मौसमी रोजगार के प्रभाव की जांच करता है। यह आय पैटर्न, उपभोग के स्तर और कृषि मजदूरों की गरीबी की गतिशीलता की पड़ताल करता है।

कबीर और सुदर्शन (2012) का शोध पत्र ग्रामीण भारत में कृषि श्रम के लिंग आयामों पर केंद्रित है। यह महिला कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करता है, जिसमें उनकी आय, कामकाजी स्थिति, भूमि अधिकार और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच शामिल है।

श्रीनिवासन (2010) का शोध पत्र भारत में कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं का अवलोकन प्रदान करता है। यह उनकी आय के स्तर, काम करने की स्थिति, भूमिहीनता, प्रवासन पैटर्न और सामाजिक सुरक्षा और लिंग असमानताओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करता है।

डिनिंगर, स्क्वायर और जिन (2008) का अध्ययन भारत में ग्रामीण श्रम बाजारों, असमानता और संस्थागत कारकों के बीच संबंधों की जांच करता है। यह कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों पर भूमि वितरण, क्रेडिट तक पहुंच और शैक्षिक अवसरों के प्रभाव को उजागर करता है।

हिमांशु (2007) द्वारा किये गये अध्ययन भारत में ग्रामीण श्रम बाजारों की गतिशीलता की जांच करता है, जिसमें कृषि मजदूरी निर्धारण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह मजदूरी के स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों, क्षेत्रों में मजदूरी अंतर और कृषि श्रम मांग पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर चर्चा करता है।

ये अध्ययन और रिपोर्ट भारत में कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति की हमारी समझ में योगदान करते हैं। वे कम मजदूरी, भूमिहीनता, लिंग असमानताओं और सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता जैसे प्रमुख मुद्दों को उजागर करते हैं। साहित्य नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए कहता है जो इन चुनौतियों का समाधान करते हैं और भारत में कृषि मजदूरों की आजीविका और कल्याण में सुधार करने की दिशा में काम करते हैं।

कृषि मजदूरों का वर्गीकरण

भारत में कृषि मजदूरों का वर्गीकरण विभिन्न मानदंडों जैसे कि रोजगार प्रकार, कौशल स्तर, भूमि स्वामित्व और लिंग के आधार पर किया जा सकता है। सामान्यतः कृषि मजदूरों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता हैः

1. मौसमी कृषि मजदूरः इन मजदूरों को विशिष्ट कृषि मौसमों के दौरान अस्थायी आधार पर काम पर रखा जाता है, जैसे कि रोपण या कटाई, और पूरे वर्ष में नियोजित नहीं होते हैं। ये अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रवास करते हैं और मौसम समाप्त होने के बाद अपने घरेलू क्षेत्रों में लौटते हैं।

2. स्थायी कृषि मजदूरः ये मजदूर पूरे वर्ष कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं और मौसमी मजदूरों की तुलना में अधिक स्थिर रोजगार पैटर्न हैं। ये बड़े खेतों या सम्पदा, वृक्षारोपण या कृषि सहकारी समितियों में काम कर सकते हैं।

3. कुशल कृषि मजदूरः कुशल मजदूरों के पास विशेष कृषि कार्यों में विशिष्ट विशेषज्ञता या प्रशिक्षण होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग मशीनरी, पशुधन का प्रबंधन करना, या उन्नत कृषि तकनीकों को लागू करना। ये औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, या अनुभव के वर्षों के माध्यम से विशेष कौशल प्राप्त किया हो सकता है।

4. अकुशल कृषि मजदूरः अकुशल मजदूर आमतौर पर कृषि में मैनुअल कार्य करते हैं, जैसे कि जुताई, बीज बोना, निराई या कटाई करना। उन्हें अपने काम के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण या योग्यता की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

5. भूमिहीन कृषि मजदूरः भूमिहीन मजदूर कृषि भूमि का मालिक नहीं है और अपनी आजीविका के लिए मजदूरी श्रम पर निर्भर करता है। ये मजदूरी या उपज के हिस्से के बदले में दूसरों के खेतों पर काम करते हैं।

6. बटाईदारः बटाईदार खेतिहर मजदूर हैं जो कटी हुई फसलों के हिस्से के बदले में दूसरों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर काम करते हैं। आम तौर पर उनके पास ज़मीन नहीं होती लेकिन वे दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं और ज़मीन के मालिक के साथ उपज साझा करते हैं। बटाईदारी की व्यवस्था फसल के हिस्से के अनुपात और मजदूरों की जिम्मेदारियों के आधार पर भिन्न होती है।

7. संविदा कृषि मजदूरः संविदा कृषि मजदूरों को मजदूरों और खेत मालिकों के बीच संविदात्मक समझौतों के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। ये अनुबंध अवधि, कार्य, वेतन और रोजगार की अन्य शर्तें निर्दिष्ट करते हैं। संविदात्मक श्रम का उपयोग अक्सर विशेष कृषि गतिविधियों या बड़े पैमाने पर फसल बोने या कटाई जैसी विशिष्ट परियोजनाओं के लिए किया जाता है।

8. महिला कृषि मजदूरः भारत में कृषि श्रम में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिला खेतिहर मजदूर रोपण, निराई, कटाई और कटाई के बाद के प्रसंस्करण सहित विभिन्न कृषि गतिविधियों में शामिल हैं। उन्हें अक्सर लिंग–आधारित भेदभाव, कम वेतन और संसाधनों और लाभों तक सीमित पहुंच से संबंधित अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये वर्गीकरण पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं, और कई कृषि मजदूर अपने रोजगार स्वरूप, कौशल, भूमि स्वामित्व और लिंग के आधार पर कई श्रेणियों में आ सकते हैं। ये वर्गीकरण भारत में कृषि श्रम बल की विविध विशेषताओं और गतिशीलता को समझने में मदद करते हैं।

कृषि मजदूरों की विशेषताएं

भारत में कृषि मजदूर विभिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को आकार देते हैं। कृषि मजदूरों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. ग्रामीण पृष्ठभूमिः खेतिहर मजदूर मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और अक्सर आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। वे गांवों में रहते हैं और कृषि क्षेत्र से निकटता से जुड़े हुए हैं।

2. भूमिहीनताः खेतिहर मजदूरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनके पास कृषि भूमि के स्वामित्व की कमी है। वे अपनी आजीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर हैं, क्योंकि उनके पास खेती के लिए जमीन तक पहुंच नहीं है।

3. निम्न शिक्षा स्तरः खेतिहर मजदूरों की अक्सर औपचारिक शिक्षा तक पहुंच सीमित होती है। कई मजदूरों में साक्षरता का स्तर कम है, जो उनके कौशल विकास के अवसरों और वैकल्पिक आजीविका विकल्पों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

4. मौसमी प्रवासः खेतिहर मजदूरों के बीच मौसमी प्रवास एक आम बात है। वे अक्सर चरम कृषि मौसम के दौरान रोजगार की तलाश में अपने गृह गांवों से विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों में चले जाते हैं।

5. मौसमी रोजगारः कृषि मजदूरों की एक महत्वपूर्ण संख्या मौसमी रोजगार में लगे हुए होते है, जो विशिष्ट कृषि गतिविधियों जैसे कि रोपण, निराई या कटाई के दौरान काम करते हैं। काम की इस मौसमी प्रकृति से आय और रोजगार के अवसरों में उतार–चढ़ाव होता है।

6. मैनुअल और शारीरिक श्रमः खेतिहर मजदूर मुख्य रूप से मैनुअल और शारीरिक श्रम में संलग्न होते हैं। वे जुताई, रोपण, निराई, कटाई और अन्य कृषि–संबंधित गतिविधियाँ जैसे कार्य करते हैं जिनमें शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होती है।

7. कम मजदूरी और आय असमानताएं: कृषि मजदूर आम तौर पर कम मजदूरी कमाते हैं, जो क्षेत्र, फसल और स्थानीय बाजार स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होती है। खेतिहर मजदूरों के बीच आय में असमानताएं मौजूद हैं, कुछ कौशल स्तर और नौकरी के अवसरों में भिन्नता के कारण दूसरों की तुलना में अधिक मजदूरी अर्जित करते हैं।

7. सामाजिक सुरक्षा का अभावः कई खेतिहर मजदूरों के पास स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति पेंशन और मातृत्व लाभ जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का यह अभाव उनकी असुरक्षा और वित्तीय असुरक्षा को बढ़ाता है।

8. लैंगिक असमानताएँः भारत में कृषि श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाएँ हैं। लैंगिक भेदभाव, कम वेतन, संसाधनों तक सीमित पहुंच और अपने श्रम की अपर्याप्त मान्यता के कारण उन्हें अक्सर अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

9. अनौपचारिक रोजगारः कृषि मजदूर मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। वे अक्सर दैनिक या मौसमी आधार पर काम करते हैं और उनके पास औपचारिक रोजगार अनुबंध या कानूनी सुरक्षा नहीं हो सकती है।

10. सीमित संघीकरणः खेतिहर मजदूरों के बीच संघीकरण अपेक्षाकृत कम है, जो बेहतर मजदूरी, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और सामाजिक कल्याण लाभों के लिए सामूहिक रूप से बातचीत करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है।

कृषि श्रमिकों की विशेषताओं को समझना नीति निर्माताओं, संगठनों और हितधारकों के लिए लक्षित हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण है जो इस महत्वपूर्ण कार्यबल के सामने आने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करते हैं। उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने, उचित वेतन सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इन विशेषताओं को संबोधित करके, उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा सकते हैं।

कृषि श्रम की खराब आर्थिक स्थिति के कारण

भारत में कृषि मजदूरों की खराब आर्थिक स्थिति को उन कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो उनकी भेद्यता और कम आय में योगदान करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारण हैं:

1. कम मजदूरी और आय असमानताः भारत में कृषि मजदूरों को अक्सर कम मजदूरी मिलती है, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और कृषि क्षेत्र के भीतर आय असमानता को जन्म देती है। वेतन अंतर क्षेत्र, लिंग और कौशल स्तर जैसे कारकों के आधार पर मौजूद हैं।

2. शोषणकारी श्रम प्रथाएं: श्रम की अधिक आपूर्ति और सीमित सौदेबाजी की शक्ति के कारण खेतिहर मजदूरों को अक्सर कम मजदूरी का सामना करना पड़ता है। यह शोषणकारी श्रम प्रथाओं से जुड़ा है, जिसमें असमान भुगतान, लंबे काम के घंटे और बुनियादी श्रम अधिकारों की कमी शामिल है। ये कारक उनकी आर्थिक असुरक्षा में योगदान करते हैं और गरीबी के चक्र को कायम रखते हैं।

3. भूमिहीनता और संसाधनों तक पहुंच का अभावः कृषि मजदूरों की खराब आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण कृषि भूमि तक उनकी पहुंच का अभाव है। भूमिहीनता उन्हें कृषि उत्पादन का लाभ लेने से रोकती है और आय उत्पन्न करने की उनकी क्षमता को सीमित करती है। इसके अलावा, ऋण, इनपुट, प्रौद्योगिकी और सिंचाई जैसे संसाधनों तक सीमित पहुंच उनकी उत्पादकता और आय क्षमता को और अधिक प्रभावित करती है।

4. मजदूरी पर निर्भरताः भारत में कृषि मजदूरों का पर्याप्त अनुपात कृषि भूमि नहीं है और उनकी आजीविका के लिए मजदूरी श्रम पर निर्भर करता है। भूमिहीनता उनके आर्थिक अवसरों को सीमित करती है और उनकी भेद्यता और कम आय में योगदान देती है।

5. मौसमी रोजगार और बेरोजगारीः कृषि श्रम अक्सर मौसमी होता है, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी और आय में उतार–चढ़ाव होता है। कई कृषि मजदूर जब कृषि मौसम नहीं होता है, इस दौरान उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, जिससे उसमें आर्थिक असुरक्षा आती है और गरीबी बढ़ती है।

6. सीमित कौशल विकासः कृषि मजदूरों को अक्सर कौशल विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुंच की कमी होती है जो उनकी उत्पादकता और रोजगार को बढ़ा सकते हैं। यह उच्च–भुगतान वाले व्यवसायों में जाने या बदलती कृषि प्रथाओं के अनुकूल होने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।

7. क्रेडिट और कौशल विकास तक सीमित पहुंचः कृषि मजदूरों को क्रेडिट और वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो आय पैदा करने वाली गतिविधियों में निवेश करने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास कार्यक्रमों तक सीमित पहुंच उनकी रोजगार और ऊपर की गतिशीलता को बाधित करती है।

8. सामाजिक सुरक्षा उपायों का अभावः खेतिहर मजदूरों को अक्सर स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य कल्याणकारी लाभों जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंच की कमी होती है। इससे उन्हें वित्तीय असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे वे अप्रत्याशित घटनाओं, चिकित्सा आपात स्थितियों और सेवानिवृत्ति चुनौतियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

9. अपर्याप्त कृषि बुनियादी ढांचाः कृषि बुनियादी ढांचे में अपर्याप्त निवेश, जैसे कि सिंचाई प्रणाली, भंडारण सुविधाएं और परिवहन नेटवर्क, कृषि उत्पादकता और मूल्य जोड़ को बाधित करता है। यह कृषि मजदूरों की आय पैदा करने वाली क्षमता और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को सीमित करता है।

10. लैंगिक असमानताः महिलाएं भारत में कृषि श्रम शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। वे अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करते हैं जैसे कि कम मजदूरी, संसाधनों तक सीमित पहुंच, निर्णय लेने की शक्ति की कमी और लिंग–आधारित भेदभाव, जो आगे उनकी खराब आर्थिक स्थिति में योगदान करते हैं।

11. प्रवास और रहने की स्थितिः भारत में कृषि मजदूरों के बीच मौसमी प्रवासन आम है। वे अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि क्षेत्रों में काम करने के लिए पलायन करते हैं, रहने की स्थिति, सामाजिक एकीकरण और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच से संबंधित चुनौतियों का सामना करते हैं।

12. विविधीकरण और मूल्य जोड़ की कमीः पारंपरिक, कम–मूल्य वाली फसलों पर अधिक निर्भरता और विविधीकरण की कमी कृषि मजदूरों के लिए आय के अवसरों को सीमित करती है। अपर्याप्त मूल्य जोड़ और बाजारों तक सीमित पहुंच के परिणामस्वरूप उनके श्रम के लिए कम रिटर्न होता है।

13. अपर्याप्त सरकारी नीतियों और कार्यान्वयनः हालांकि सरकार ने कृषि मजदूरों की स्थितियों में सुधार के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है, लेकिन उनके कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में अंतराल हैं। अपर्याप्त प्रवर्तन, सीमित जागरूकता, और नौकरशाही बाधाएं कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार करने पर इन नीतियों के प्रभाव में बाधा डालती हैं।

इन कारणों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें मजदूरी बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, कौशल विकास में सुधार, भूमि सुधारों को बढ़ावा देने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप शामिल हैं। इस तरह के उपायों से कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति के उत्थान में मदद मिल सकती है और उनकी समग्र भलाई को बढ़ाया जा सकता है।

कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थति में सुधार के लिए सरकार की नीति

भारत सरकार ने कृषि मजदूरों की शर्तों में सुधार के लिए कई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है। इन नीतियों का उद्देश्य कृषि मजदूरों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनकी सामाजिक–आर्थिक भलाई को बढ़ाता है। यहाँ कुछ प्रमुख सरकारी पहल निम्नवत् हैं:

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): मनरेगा कृषि मजदूरों सहित ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है। यह उन्हें काम करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है, दुबले कृषि मौसम के दौरान रोजगार के अवसर सुनिश्चित करता है और बेरोजगारी को संबोधित करता है।

2. प्रधानमंत्री फासल बीमा योजना (PMFBY): प्रधानमंत्री फासल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ कृषि मजदूरों सहित किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह कृषि से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करता है और संकट के समय में सहायता प्रदान करता है।

3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान): पीएम–किसान एक आय सहायता योजना है जो भूमिहीन कृषि मजदूरों सहित छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करना और उनकी आर्थिक भेद्यता को कम करना है।

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक केंद्र–प्रायोजित योजना है जो कृषि विकास कार्यक्रमों को लागू करने में राज्य सरकारों का समर्थन करती है। यह उत्पादकता बढ़ाने, कौशल विकास प्रदान करने, कृषि–उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और कृषि में बुनियादी ढांचे में सुधार करने पर केंद्रित है।

5. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM): राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना और कृषि मजदूरों सहित आजीविका में सुधार करना है। यह स्व–सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा देता है, क्रेडिट और कौशल विकास तक पहुंच प्रदान करता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में आय पैदा करने वाली गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है।

6. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माइक्रो और छोटे उद्यमों को संपार्श्विक–मुक्त ऋण प्रदान करता है, जिसमें कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसका उद्देश्य कृषि मजदूरों और अन्य ग्रामीण व्यक्तियों के बीच उद्यमशीलता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

7. कौशल विकास पहलः सरकार ने कृषि मजदूरों की रोजगार को बढ़ाने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री कौशाल विकास योजना (PMKVY) जैसे कार्यक्रम अपने कौशल को उन्नत करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करते हैं।

8. भूमि सुधार और किरायेदारी कानूनः सरकार ने भूमिहीनता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और कृषि मजदूरों के लिए भूमि पहुंच में सुधार करने के लिए भूमि सुधार शुरू किए हैं। किरायेदारी कानूनों को मजबूत करने, भूमि पट्टे को बढ़ावा देने और समान भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए भूमि पुनर्वितरण की सुविधा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

9. सामाजिक सुरक्षा योजनाएंः सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पेश किया है जैसे कि प्रधानमंत्री जीवनी ज्योति बिमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्र सूरक्शा बिमा योजाना (PMSBY), कृषि मजदूरों सहित कमजोर वर्गों को जीवन बीमा और दुर्घटना कवरेज प्रदान करने के लिए।

10. कृषि बुनियादी ढांचे में निवेशः सरकार ने कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए धन आवंटित किया है, जिसमें सिंचाई प्रणाली, ग्रामीण सड़कें, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और बाजार लिंकेज शामिल हैं। इन निवेशों का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, कटाई के बाद के नुकसान को कम करना और कृषि मजदूरों के लिए बाजारों तक पहुंच में सुधार करना है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन नीतियों का कार्यान्वयन और प्रभावशीलता क्षेत्रों और समय में भिन्न होती है। इन नीतियों का निरंतर मूल्यांकन, निगरानी और सुधार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वे भारत में कृषि मजदूरों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सके।

उपाय/सुझाव

भारत में कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में पहचाने गए निष्कर्षों और चुनौतियों के आधार पर, यहां इन मुद्दों को संबोधित करने और उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं:

1. भूमि सुधारः भूमि सुधारों को लागू करें जो भूमि पुनर्वितरण को बढ़ावा देते हैं, कृषि मजदूरों के लिए भूमि अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, और भूमि पट्टे की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाते हैं। यह भूमि तक उनकी पहुंच बढ़ाएगा, उत्पादकता में सुधार करेगा और कृषि क्षेत्र के भीतर असमानता को कम करेगा।

2. उचित मजदूरी: कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मजदूर उचित मजदूरी प्राप्त करते हैं। यह नियमित निगरानी, गैर–अनुपालन के लिए सख्त दंड और जागरूकता अभियानों के माध्यम से किया जा सकता है।

3. सामाजिक सुरक्षा: व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पेश करना चाहिए जो स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज और कृषि मजदूरों को पेंशन लाभ प्रदान करे। ये उपाय उन्हें अप्रत्याशित जोखिमों से बचा सकते हैं और संकट के समय के दौरान सुरक्षा जाल प्रदान कर सकते हैं।

4. कौशल विकास को बढ़ावा: कृषि मजदूरों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश किया जाना चाहिए। आधुनिक कृषि तकनीकों, मशीनरी संचालन और अन्य प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। यह उनकी उत्पादकता, रोजगार और आय–कमाई क्षमता को बढ़ाएगा।

5. विविधीकरण और मूल्य जोड़ को बढ़ावा देना: उच्च–मूल्य वाली फसलों, पशुधन खेती और गैर–कृषि आय पैदा करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देकर कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन बुनियादी ढांचे के माध्यम से समर्थन मूल्य जोड़, कृषि मजदूरों के लिए उच्च आय के लिए अवसर पैदा करना चाहिए।

6. बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच: कृषि मजदूरों और उनके परिवारों के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना जीवन की बेहतर गुणवत्ता और कल्याण में योगदान कर सकता है।

7. ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार: ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए संसाधन आवंटित किया जाना चाहिए जिसमें सिंचाई प्रणाली, सड़क, भंडारण सुविधाएं और बाजार लिंकेज शामिल हैं। यह कृषि उत्पादकता बढ़ाएगा, कटाई के बाद के नुकसान को कम करेगा, और कृषि मजदूरों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करेगा।

8. लिंग सशक्तिकरण: उन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए जो लिंग असमानताओं को संबोधित करते हैं और महिला कृषि मजदूरों को सशक्त बनाते हैं। इसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, संसाधनों तक पहुंच और नेतृत्व के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पहल शामिल हो सकती है।

9. सामाजिक संवाद को मजबूत करना: कृषि मजदूरों, ट्रेड यूनियनों, नागरिक समाज संगठनों और सरकारी अधिकारियों के बीच सार्थक जुड़ाव और परामर्श की सुविधा किया जाना चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करना मजदूरों की आवाज़ों को बढ़ा सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि उनके हितों का प्रतिनिधित्व किया जाए।

10. क्रेडिट तक पहुंच में सुधार करना: कृषि मजदूरों के लिए क्रेडिट और वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें आय पैदा करने वाली गतिविधियों में निवेश करने, उत्पादक संपत्ति प्राप्त करने और शोषक अनौपचारिक उधारदाताओं पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाया जा सके।

11. सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देना: अपनी सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करने, बेहतर मजदूरी और कामकाजी परिस्थितियों के लिए बातचीत करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कृषि मजदूरों के बीच श्रम संघों या सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

12. मौजूदा नीतियों के कार्यान्वयन को मजबूत करना: कृषि मजदूरों पर लक्षित मौजूदा सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह क्षमता निर्माण, सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और निगरानी और मूल्यांकन तंत्रों को बढ़ाया जा सकता है।

13. डेटा संग्रह और अनुसंधान में सुधार करना: कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों की निरंतर निगरानी और आकलन करने के लिए व्यापक डेटा संग्रह प्रणालियों और अनुसंधान में निवेश किया जाना चाहिए। यह उनकी विकसित जरूरतों की बेहतर समझ प्रदान करेगा और साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण को सूचित करेगा।

इन सुझावों का उद्देश्य भारत में कृषि मजदूरों की खराब आर्थिक स्थिति के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना और कृषि क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इन उपायों के कार्यान्वयन में कृषि मजदूरों के लिए सार्थक और स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारत में कृषि मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति उन चुनौतियों के एक जटिल स्वरूप को दर्शाती है जिनके लिए बहुआयामी समाधान की आवश्यकता होती है। आय सुरक्षा को बढ़ाना, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, भूमि सुधारों को बढ़ावा देना, और लैंगिक असमानताओं को संबोधित करना कृषि मजदूरों के जीवन को ऊपर उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों को समाज के इस कमजोर वर्ग के लिए स्थायी आजीविका और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा, कृषि मजदूरों के लिए कौशल विकास और आजीविका के विकल्पों के विविधीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि कृषि गतिविधियों पर उनकी निर्भरता को कम हो सके।

संदर्भ

अग्रवाल, बी (2019). जेंडर, पावर्टी, गरीबी, और इनिक्वालटीः एक्सप्लोरिंग द इंटरकनेक्ट्स, ऑक्सफोर्ड रिसर्च इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, DOI: 10.1093/acrefore/9780190846626.013.600

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) (2019). इनविजीवल हेण्डः वूमेन वर्कर्स इन एग्रीकल्चर, Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/publication/wcms_650402.pdf

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) (2018). ए क्वांटम लीप फॉर वूमेन्स इकोनॉमिक इम्पॉवरमेंटः एन इंटिग्रेटेड एप्रोच टू एसडीजी 8, Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/publication/wcms_650393.pdf

श्रीनिवासन, पी. वी. (2010). भारत में कृषि मजदूरः विशेषताएं, शर्तें और चुनौतियां, इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटीकल वीकली, 45 (8), 58–67।

कबीर, एन. और सुदर्शन, आर. एम. (2012). जेंडर्ड लाइवलिहुड्सः मैपिंग द सोशियोइकोनॉमिक कंडिशन्स ऑफ वूमेन एग्रीकल्चर लेबर्रस इन रूरल इंडिया, वर्ल्ड डेवलपमेंट, 40 (10), 2064–2075।

डिनिंगर, के.; स्क्वायर, एल. और जिन, एस. (2008). रूरल लेबर मार्केट्स, इनिक्वालटी, एण्ड द रोल ऑफ इंस्टिट्यूशन इन इंडिया, वर्ल्ड डेवलपमेंट, 36 (10), 1910–1925।

दास, ए. और मुखोपाध्याय, एस. (2018). एग्रीकल्चर वेज वर्क, सिजनलटी, एण्ड द इकोनॉमिक वेल–विईंग ऑफ हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया, वर्ल्ड डेवलपमेंट, 103, 14–26।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) (2020). भारत में रोजगार और बेरोजगारी के प्रमुख संकेतक। Retrieved from http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/ KI_74_68_20june19.pdf

शेट्टी, एस. और राजू, एस.एस. (2019). भारत में कृषि श्रमः एक अवलोकन, जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक एंड सोशल थॉट, 6 (2), 163–178।

हिमांशु (2007). भारत में ग्रामीण श्रम बाजार और कृषि मजदूरी निर्धारणः साक्ष्य की समीक्षा, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, 62 (3), 395–410।